

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य राजस्व प्राप्त करने वाले राजस्व क्षेत्र के विभागों के राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, जो वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; इस प्रतिवेदन में जहां आवश्यक है वहां पर वर्ष 2018-19 के बाद की अवधि का लेखापरीक्षा के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।